रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1641] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940
No. 1641] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

का.आ. 1828(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

असम सरकार की पहले की अधिसूचना सं. 8, दिनांक 27.08.1881 के द्वारा घोषित होल्लोनगपर रिजर्व वन की संरक्षण स्थिति को उन्नत करके असम सरकार द्वारा अधिसूचना सं एफ आर एस 37/97/13, दिनांक 30.07.1997 होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य को अधिसूचित किया गया था;

और, अभयारण्य का महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र 2098.621 हेक्टेयर (20.98 वर्ग किलोमीटर) है और यह असम राज्य के जोरहाट जिले में स्थित है। इससे होकर गुजरने वाले मार्ग, इसके आवाह क्षेत्र से गुजरने वाली बारहमासी भोगदोई नदी और अभयारण्य का पारिस्थितिकी पर्यावरण अद्वितीय हैं जहां कई छोटी मौसमी नदियां भी हैं जिनमें जोरहाट जिले के होल्लोनगपर मौजा (तालुका) और नाकाचरी मौजा (तालुका) से गुजरने वाली नदियां भी शामिल हैं जो इस अभयारण्य में जीव-जंतुओं के लिए जल का मुख्य स्त्रोत है;

और, अभयारण्य में विविधतापूर्ण वनस्पति पायी जाती हैं जिनमें 74 वृक्ष प्रजातियां, 17 झाड़ी प्रजातियां और 12, रोही प्रजातियां शामिल हैं। वृक्ष प्रजातियों में होल्लोंग (*डिप्टेरोकार्पस रेटूसा*), सैम (*आर्टोकार्पस चपलाशा*), अमरि (*अमूरा वल्लीची*), सोपास (*मिचलिअ स्प*), भेलु (*टेट्रामेलोस नडीफ्लोरा*), उदल (*स्टेरक्युलिअ विलोसा*), हिंगोरी (*चस्टानोप्सिस स्प*), नाहोर (मुसुआ फेर्रेअ), बांदोरदिमा (*डिऑक्सीलम प्रॉएरूम*), धुंआ (*कैनरियम रेसिनिफेरुम*), भमोरा (*टर्मिनलिए बेलेरिका*), फूल गोमरी (*गमेलिना स्प*), बॉन बोगोरी (*पटेरोस्पेर्म लैंसोफोलोम*), मोरहल (*वाटिका लैंसोफोलीअ*), सस्सी (*अक्लिारिअ अगोलाचा*), ओटेंगा (*दिल्लेनिअ इंडिका*), अजर (*लागेरस्टराइमिआ फ्लॉस-रेगिंए*), बॉन-ऐम (*माँगीफेरा सिल्वाटिका*), अमोरा (*स्पोंडिअस माँगीफेरा*), यूरिअम (*बिस्कोफिए जवनिका*), सेल्लिंग (*सपियम बाक्सातुम*), माहि ठेकेरा (*गर्सिनिअ मोरेल्ला*), कथोलुआ

(*पालकियम ओबोवेटियम*), कुम्भी (*करेया अरबोरी*), गहोरी सोपा (*मैगनोलिया पीलिआना*),गोमारी(*गेमेलिना अर्बोरेआ*), गोहोरा (प्रेम्ना बैंगालेंसिस), गोन्धसोरोइ (*सिन्नामोनियम ग्रन्दिलिफेरुम*), सालमुगरा (*हीड्रोकार्पस कुरजील*), पोरेन्ग (*ऍलएओपुस रोबुस्तुस*), सोतिओना (*आलोस्टोनिअ स्कोलरिस*), चोम (*मचिलुस ओदोरतिस्सिमे*), चेवा (*कार्याटा उरुस*), जुतुलि (*अल्तिन्गिअ एक्षुल्सा*), जोरि (*फिस्कुस बेंजामिन*), तितस्योपा (*मिचलिआ चम्पका*), पैन चौपा (*मैगनोलिया स्फेनोकार्पा*), बोहोत (*आर्टोकार्पु लकुचा*), फ़क़देमा (*त्रिवेअ ओरेन्तलिस*), फूल सोपा (*मैगनोलिया हूकारी*), बोरहोमथुरी (*टालॉमा होड्गसन*), बोगी जामुक (*एउगेनिआ कुरजी*), बोर जामुक (*एउगेनिअ जाम्बुलअना*), बाघ नोला (*लित्स्सेआ सेबिफेरा*), भात्घिल्ला (*ऑरोक्सिलोम इंडिकॉम*), बोमोरा (*टर्मिनलीआ बेलेरिका*), मेजंगकोरी (*लिटसेअ सित्राता*), खोकोन(*दुभांगा सोनरटोइडस*), रुद्राखा (*एलएओपुस गेनित्रस*), रघु (*अन्थोसेफालुस कदम्बा*), सिमुल (*बोमबाक्स सिबा*), लेतेकु (बकेउरिया *सपेदा*), हीलिखा (*टर्मिनलिक चेबुला*), होउरा (*ट्रोफिस एस्पेरा*), हल्दू सोपा (*अदिने कर्डिफोलिआ*), होलोख (*टर्मिनलीआ मैरिओकार्पा*), हेलोच (*अन्तिदेसमे घिसाएमबिला*), भेलकोर (*ट्रेविआ नडीफ्लोरा*), बोअल (*करदिअ ओब्लिए*), बोनसम (*फ़ोएबे गोआलपारेंसिस*), बोरपात (*ऐलन्थस ग्रान्डिस*), डमरू (*फिक्स स्प*), घोरा नीम (*मेलिए इंडिका*), हुआलु (*लिटसेयि पोल्यंथा*), *जलपाई (इलाइओकारपूस वरुणा), कंचन (बॉहिनिअ पुरपुरी), कसेरू (हेटेरोपनक्स फ्रैगरैंस)*, कोरोइ (*अल्बेज़िए प्रोसेरा*), मौज (*अजबेजिया लउकीदो*), मोरोलीअ (*मल्लोटस अलबूस*), नागाभे *(स्कीमा वल्लीची)*, पारोली *(स्टेरोस्पेर्म चेलोनोइड्स)*, पोमा *(सेडरेला टोने)* और टेपोर ठेंगा *(गर्सिनिअ स्प)* शामिल हैं;

और, झाड़ी एवं रोही हारपगन्धा (*रवोल्फिआ सर्पेन्टीन*), गु-फूल(*लांटेना कैमरा*), जरमोनी (*एयपोटोरियम ओडोरातुम*), जेटली पोका (*रुबूसमुलुकानुस*), तोरा(*अलीअ अलुघस*), धोपट्टीते (*फ्लोगंटूस क्रविफ्लोरस*), नल (*अरुणडोडोनक्स*), खोजोरी (*फ्राग्मितेस करके*), निलजी बॉन (*मिमोसा पुडिका*), पतिदोई (*इलिनॉयने दीचोटोमा*), पोछोतीअ (*बुदद्लीरिअ असिटिक*), फुचका (*ओस्बेकिआ रत्नता*), बीवी हबोटा (*डेस्मोडियम लबोरनिफोलियम*), बहक तीता (*अधाटोडा स्प*), काउण्ट (फ्रीनियम स्प), माखिओटी (फ्लेमिनज़िआ स्ट्रीक्टा), मेजेंगा (विबरनुम कोलेबूकीअनुम),अमाइलोटा (मेंइसपरनुम ग्लाब्रम), हरजूरा लोटा *(सिस्सुस क्वाड्रंगुलारिस)*, आकाशीलता *(तरचेलोसपेरमुम फ्रैगरैंस)*, पनिलोटा *(दिलीना सेरमेंटोसा)*, कोलीअलोटा *(मेर्रेमिअ उम्बल्लता)*, पीपली *(पाइपर लोंगम)*, लातुमोनी *(अब्रुस प्रेकटोरिओउस)*, मेकुरी चली *(कबरेतुम डुंडरूम)*, जेंगु बेट *(कैलमेस इरेक्टस)*, जाती बेट *(कैलमेस तेनेइसे)*, रैदांग बेट *(कलेमस फ्लागेल्लुम)* और लेजाई बेट *(कलेमस फ़्लोरीबंदुस)*. शामिल हैं। अभयारण्य में औषधीय रोही, झाडी, मोस्स, फर्न आदि के अलावा महत्त्वपूर्ण दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे *दीपटेरोकारपुस रेतुसा, फिकुस स्पा, अरटोकरपुस चापलासा, लिटसेयि चीतराटा, अक्यूइलारिया अगलोचा* आदि विद्यमान है;

और, अभयारण्य में **11** स्तनधारी प्रजातियां, **5** सरीसृप और उभयचर प्रजातियां और **31** पक्षी-जीव प्रजातियाँ विद्यमान हैं। इनमें बाघ (स्टराय) (*पैंथेरा टाइगरिस*), एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सीमूस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), बनबिलार (फेलिस चाउस), भारतीय सिविट *(विवरर्डि स्पा)*, विशाल गिलहरी *(रेतुफा बिकोलोर)*, मुंजक *(मुनटीक्स मुनतजक)*, सांभर हिरण *(केरवुस यूनिकोलोर)*, जंगली सूअर *(सूस स्कोरफा)*, पाँच-धारीदार गिलहरी *(फनाम्बुलुस पेन्नांटी)*, भारतीय पायथन *(गेनुस पायथोन), सामान्य मॉनिटर लिर्जाड (वरानुस गरीसूस), इंडियन टेंट कछुआ (कचुगा टेक्टा टेक्टा)*, छिपकली *(कलोदुक्टयलाइदेस उयरेउस), सामान्य कोबरा (नाजा स्पा)*, वाइट विंजेड वोड डक *(कैरिना स्कुतुलाटा)*, हॉर्न बिल *(पटीलोलाइमुस टीककालि उयस्टेनी)*, भारतीय पाइर्ड हॉर्न बिल *(अंथराकोकेरोस मालाबरिकुस)*, ओस्प्रे *(पंदीओन हालिअटेटुस)*, हिल मायना *(ग्राकुला रेलिगिओसा इंडिका)*, कालीज तीतर *(लोफुरा लेउकोमाला)*, बैबलर *(टीमालिनिया स्पा), बरबेटस (कपिटोनिदे स्पा), बिट्टेरेंस (अरदेइदिया स्पा)* किंग फिशर *(अल्केदीनिदेय)*, ओरिओलेस *(ओरिओलिदया)*, *बुलबुलस (पयच्नोनोटीदेया स्पा)*, उल्लू (*स्टरीगिदेया*), सफेद बगुला *(अरीदइदआ)*, जलकाग *(फालाकरोकोराचीदे)*, मैना *(स्तरनिदेया)*, कोयल *(कुकुलिदेया)*, मैग्पाइज (*कोरविदेया*), कबूतर *(कोलुम्बिदेया), डारटेर्स (फालाक्रोरासिदेया), डरोवेस (कोलुम्बिदिया), ब्लू जाय (कोराकिदिया), तेअल्स (अनाटीदिया)*, ट्री पाई *(कोरविदिया), बायस (पलोकेइदिया)*, जंगल मुर्गी *(फसिअनिदिया)*, मिनिविट *(काम्पेफागिदिया), मुनिअस (इस्टरीलिदना)*, तोता *(पसिट्टाकिदिया)*, कठफोड़वा *(पिकिदिया)* और टीटस (परिदेइ) शामिल हैं। अभयारण्य जैवविविधता को समृद्ध करने वाली सात दुर्लभ प्रमुख प्रजातियों को भी संरक्षण देता है;

और, यह अभयारण्य विविधतापूर्ण भू-दृश्य है एक महत्त्वपूर्ण हाथी गलियारा इसका अभिन्न भाग है। इसमें दिसाई और दिसाई घाटी रिजर्व वन है, और इसके दक्षिण में नागालैंड का भू-भाग मिलता है;

और, अभयारण्य मारियानी मौज़ा (तालुका) से 3.0 किलोमीटर और जोरहाट शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है और तेज़ी से होता शहरीकरण आगे चलकर पक्षियों, पशुओं और अभयारण्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है; अभयारण्य से एक रेलवे लाइन और एक सड़क भी गुजरती है जिससे यह सड़क यातायात के लिए खुल जाता है और अभयारण्य के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचती है;

और, अभयारण्य में विविध प्रकार के वनस्पति, जीवजंतु और पक्षी जीव रहते हैं। यह स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। अत: पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दृष्टि से इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को संरक्षण और परिरक्षण आवश्यक है ताकि इसकी जैव-विविधता और पर्यावरण की रक्षा की जा सके;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य की सीमा से 0.0 किलोमीटर (नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा) से 22.54 किलोमीटर तक के 264.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 2098.621 हेक्टेयर (20.98 वर्ग किलोमीटर) है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा अभयारण्य की सीमा से 0.0 किलोमीटर (नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा) से 22.54 किलोमीटर तक विस्तारित है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) अधिकतम और न्यूनतम अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(4) अधिकतम और न्यूनतम अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भूमि उपयोग और भूमि क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(5) अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है।

(6) संरक्षित और समीपवर्ती क्षेत्रों में अभिलिखित वनस्पति और जीवजंतुओं की सूची **उपाबंध V** के रूप में संलग्न है।

(7) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध VI** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण विभाग;

(ii) वन और वन्यजीव विभाग;

(iii) कृषि एवं बागवानी विभाग;

(iv) भूमि राजस्व और निपटान विभाग;

(v) ग्रामीण विकास विभाग;

(vi) शहरी विकास विभाग;

(vii) नगरपालिका विभाग;

(viii) पंचायती राज विभाग;

(ix) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन विभाग

(x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;

(xi) राजस्व विभाग;

(xii) लोक निर्माण विभाग;

(xiii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(8) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग;

(v) पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(vi) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) परंतु यह भी कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या बंजर या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण पर्यावास एवं जैव-विविधता को बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986,(1986 का 29) के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन

		क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) 1.0 किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।

21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग.बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 (1) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

(i)	उपायुक्त, जोरहाट	-अध्यक्ष;
(ii)	क्षेत्र का वरिष्ठ योजनाकार	–सदस्य;
(iii)	प्रकृति के संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का असम राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिबसागर	–सदस्य;
(v)	प्रतिष्ठित संस्थान/ विश्वविद्यालय से असम संस्थान द्वारा नामित पारिस्थितिकीय विशेषज्ञ	–सदस्य;
(vi)	सदस्य सचिव, राज्य जैव विविधता बोर्ड, असम	–सदस्य;
(vii)	जिला उद्योग अधिकारी, जोरहाट	–सदस्य;
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, जोरहाट	–सदस्य;
(ix)	जिला मत्स्य अधिकारी, जोरहाट	–सदस्य;
(x)	संभागीय वन अधिकारी, जोरहट संभाग, जोरहाट	–सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित जिलाधीश या संबंधित प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VII** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

(10) इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/55/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य, असम के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व:-जीपीएस बिंदु सं. 1 (94° 23' 14.681" पू और 26° 41' 29.920" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं 2 को पार करके चाय बागान के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं.3 (94° 22' 16.632" पू और 26° 40' 17.275" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 3 से सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.4 (94° 22' 27.612" पू और 26° 40' 3.979" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.4 से पुन: सीमा जीपीएस बिंदु सं. 5 को पार करके चाय बागान सीमा के साथ जाकर जीपीएस बिंदु सं.6 (94° 23' 9.328" पू और 26° 39' 47.632" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.6 से पुन: सीमा सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.7 (94° 23' 36.674" पू और 26° 39' 15.625" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.7 से सीमा चाय बागान के साथ जाती है। और जीपीएस बिंदु सं. 8 (94° 23' 54.414" पू और 26° 38' 45.600" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.8 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.9 एवं 10 को पार करके दिसाई रिजर्व वन की रिजर्व वन सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.11 (94° 27' 10.359" पू और 26° 39' 16.601" उ) से मिलती है। वहां से सीमा रिजर्व वन सीमा (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं.12 (94° 27' 57.392" पू और 26° 38' 0.138" उ) से मिलती है।

दक्षिण:- जीपीएस बिंदु सं. 12 (94° 27' 57.392" पू और 26° 38' 0.138" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं.13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 एवं 29 को पार करके दिसाई एवं दिसाई घाटी रिजर्व वन (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) की रिजर्व वन सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.30 (94° 18' 59.946" पू और 26° 27' 32.039" उ) से मिलती है।

पश्चिम:- जीपीएस बिंदु सं. 30 (94° 18' 59.946" पू और 26° 27' 32.039" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं.31,32,33,34 एवं 35 को पार करके दिसाई घाटी रिजर्व वन (असम नागालैंड अंतरराज्यीय सीमा) की रिजर्व वन सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.36 (94° 17' 4.305" पू और 26° 33' 44.203" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 36 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 37,38,39,40 एवं 41 को पार करके दिसाई घाटी रिजर्व वन सीमा के साथ पूर्व की ओर मुड़ती है। और

जीपीएस बिंदु सं. 42 (94° 23' 6.610" पू और 26° 37' 57.755" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.42 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 43,44,45,46,47,48,49 एवं 50 को पार करके भोगदई नदी और दिसाई नदी के बाएं तट के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 51(94° 16' 48.306" पू और 26° 43' 59.786" उ) 23' 24.281" पू और 26° 44' 18.300" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.56 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 57 को को पार करके सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाकर जीपीएस बिंदु सं.58 (94° 24' 2.960" पू और 26° 41' 18.688" उ) से मिलती है जीपीएस बिंदु सं.58 से सीमा सड़क के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 59 (94° 23' 16.032" पू और 26° 40' 50.899" उ) से मिलती है।

उत्तर:-जीपीएस बिंदु सं. 59 से सीमा सड़क के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.1 (94° 23' 14.681" पू और 26° 41' 29.920" उ) से मिलती है।

अभयारण्य की पश्चिमी सीमा नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा को छूती है और अत: पारिस्थितिकी संवेदी जोन 0.0 किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा 0.0 किलोमीटर (नागालैंड के साथ अंतरराज्यीय सीमा) से 22.54 किलोमीटर के बीच है।

उपाबंध II

अधिकतम और न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ होल्लोनगपर-गिब्बन

अभयारण्य की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

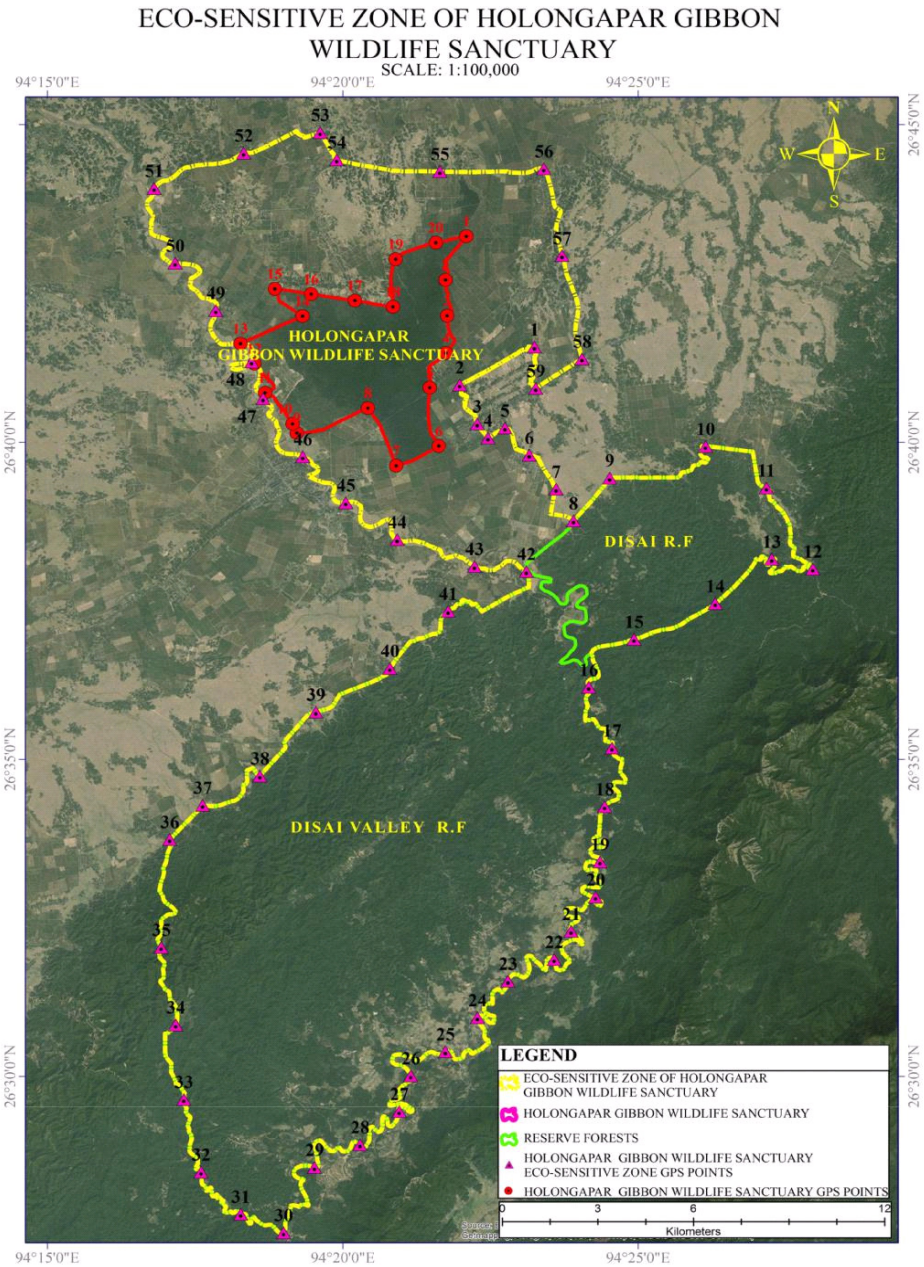

उपाबंध III

अधिकतम और न्यूनतम अक्षांश और देशांतर के साथ होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग और भूमि क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र

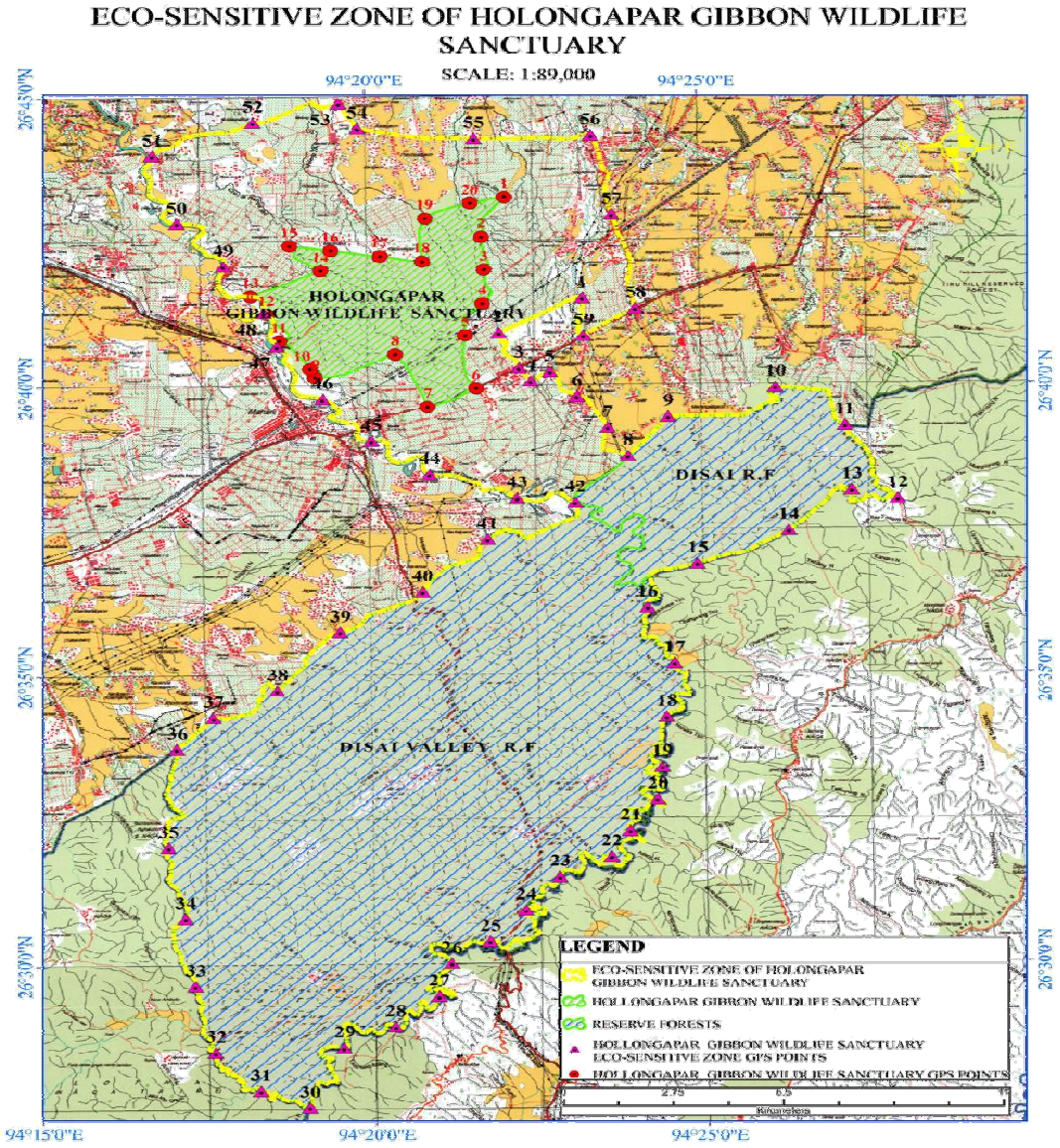

उपाबंध IV

होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले जी.पी.एस निर्देशांक

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 22' 5.369" पू	26° 43' 14.526" उ
2	94° 21' 44.154" पू	26° 42' 33.281" उ
3	94° 21' 45.902" पू	26° 41' 59.451" उ
4	94° 21' 44.588" पू	26° 41' 24.186" उ
5	94° 21' 28.134" पू	26° 40' 51.434" उ
6	94° 21' 37.449" पू	26° 39' 56.337" उ
7	94° 20' 54.065" पू	26° 39' 37.576" उ
8	94° 20' 25.370" पू	26° 40' 32.105" उ
9	94° 19' 13.121" पू	26° 40' 8.556" उ
10	94° 19' 8.815" पू	26° 40' 17.324" उ
11	94° 18' 41.036" पू	26° 40' 46.645" उ
12	94° 18' 30.120" पू	26° 41' 14.195" उ
13	94° 18' 15.841" पू	26° 41' 32.983" उ
14	94° 19' 18.964" पू	26° 41' 59.067" उ
15	94° 18' 50.889" पू	26° 42' 24.862" उ
16	94° 19' 27.784" पू	26° 42' 19.920" उ
17	94° 20' 12.239" पू	26° 42' 13.733" उ
18	94° 20' 50.712" पू	26° 42' 7.986" उ
19	94° 20' 53.612" पू	26° 42' 52.873" उ
20	94° 21' 34.283" पू	26° 43' 8.484" उ

होल्लोनगपर-गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के मुख्य बिंदुओं को दर्शाने वाले जी.पी.एस निर्देशांक

जीपीएस बिंदु	देशांतर	अक्षांश
1	94° 23' 14.681" पू	26° 41' 29.920" उ
2	94° 21' 58.733" पू	26° 40' 54.190" उ
3	94° 22' 16.632" पू	26° 40' 17.275" उ
4	94° 22' 27.612" पू	26° 40' 3.979" उ
5	94° 22' 44.856" पू	26° 40' 13.435" उ
6	94° 23' 9.328" पू	26° 39' 47.632" उ
7	94° 23' 36.674" पू	26° 39' 15.625" उ
8	94° 23' 54.414" पू	26° 38' 45.600" उ
9	94° 24' 31.095" पू	26° 39' 26.119" उ
10	94° 26' 8.448" पू	26° 39' 56.055" उ
11	94° 27' 10.359" पू	26° 39' 16.601" उ

12	94° 27' 57.392" पू	26° 38' 0.138" उ
13	94° 27' 15.774" पू	26° 38' 9.378" उ
14	94° 26' 18.451" पू	26° 37' 27.401" उ
15	94° 24' 55.909" पू	26° 36' 53.720" उ
16	94° 24' 9.908" पू	26° 36' 8.385" उ
17	94° 24' 33.452" पू	26° 35' 10.842" उ
18	94° 24' 25.974" पू	26° 34' 15.262" उ
19	94° 24' 21.288" पू	26° 33' 23.163" उ
20	94° 24' 16.844" पू	26° 32' 49.680" उ
21	94° 23' 51.958" पू	26° 32' 17.464" उ
22	94° 23' 34.682" पू	26° 31' 50.761" उ
23	94° 22' 47.947" पू	26° 31' 30.131" उ
24	94° 22' 16.926" पू	26° 30' 55.641" उ
25	94° 21' 44.231" पू	26° 30' 23.364" उ
26	94° 21' 9.009" पू	26° 30' 0.605" उ
27	94° 20' 57.257" पू	26° 29' 26.790" उ
28	94° 20' 17.557" पू	26° 28' 55.367" उ
29	94° 19' 31.392" पू	26° 28' 33.835" उ
30	94° 18' 59.946" पू	26° 27' 32.039" उ
31	94° 18' 16.389" पू	26° 27' 49.605" उ
32	94° 17' 36.034" पू	26° 28' 29.485" उ
33	94° 17' 18.566" पू	26° 29' 38.238" उ
34	94° 17' 10.442" पू	26° 30' 48.756" उ
35	94° 16' 55.540" पू	26° 32' 2.181" उ
36	94° 17' 4.305" पू	26° 33' 44.203" उ
37	94° 17' 37.623" पू	26° 34' 16.571" उ
38	94° 18' 35.813" पू	26° 34' 44.390" उ
39	94° 19' 32.812" पू	26° 35' 44.785" उ
40	94° 20' 47.911" पू	26° 36' 26.203" उ
41	94° 21' 46.973" पू	26° 37' 20.167" उ
42	94° 23' 6.610" पू	26° 37' 57.755" उ
43	94° 22' 13.726" पू	26° 38' 2.520" उ
44	94° 20' 55.265" पू	26° 38' 27.840" उ
45	94° 20' 3.032" पू	26° 39' 2.789" उ
46	94° 19' 19.293" पू	26° 39' 46.253" उ
47	94° 18' 39.098" पू	26° 40' 41.041" उ
48	94° 18' 27.490" पू	26° 41' 15.839" उ
49	94° 17' 51.098" पू	26° 42' 4.516" उ
50	94° 17' 9.801" पू	26° 42' 49.134" उ

51	94° 16' 48.306" पू	26° 43' 59.786" उ
52	94° 18' 19.472" पू	26° 44' 33.213" उ
53	94° 19' 37.013" पू	26° 44' 52.619" उ
54	94° 19' 53.855" पू	26° 44' 26.751" उ
55	94° 21' 38.543" पू	26° 44' 15.740" उ
56	94° 23' 24.281" पू	26° 44' 18.300" उ
57	94° 23' 42.683" पू	26° 42' 56.295" उ
58	94° 24' 2.960" पू	26° 41' 18.688" उ
59	94° 23' 16.032" पू	26° 40' 50.899" उ

उपाबंध V

होल्लोनगपर गिब्बन अभयारण्य की वनस्पतियों की सूची:

क्र.सं.	अंग्रेज़ी नाम (स्थानीय नाम)	वैज्ञानिक नाम
1.	होल्लोंग	*(दीप्टेरोकरपुस रेटुसा)*
2.	शाम	*(अरटोकरपुस चाप्लासा)*
3.	अमेरी	*(अमौरा वाल्लीची)*
4.	सोपस	*(मिचेल्लिया स्पा)*
5.	भेलु	*(टेटरामेलोस नुदीफलोरा)*
6.	उदाल	*(स्टेरकुलिया विल्लोसा)*
7.	हींगोरी	*(कस्टनोपसिया स्पा.)*
8.	नहोर	*(मुसुआ फेरी)*
9.	बंदोरदीमा	*(डिऑक्सीलम परोकेरूम)*
10.	धुना	*(केनारीउम रेसिनिफेरूम)*
11.	भोमोरा	*(टर्मिनालिया बेलेरीका)*
12.	फुल गोमरी	*(गमेनिना स्पा.)*
13.	बोन बोगोरी	*(पटेरोसपेरमुम लांकेओफोलुम)*
14.	मोरहाल	*(वाटिका लांकेओफोलिया)*
15.	सस्सी	*(अक्यइलारिया अगोलाचा)*
16.	ओटेंगा	*(दिल्लेनिया इंडिका)*
17.	अजर	*(लागेरस्ट्रोइमिलिया फलोस- रेगिनिया)*
18.	बोन-अम	*(मेंगिफेरा सिलवाटिका)*
19.	अमोरा	*(स्पोंदीअस मंगिफेरा)*
20.	उरीअम	*(बिस्कोफिया जवानिका)*
21.	सेल्लेंग	(स्पपियम बेच्चतुम)
22.	माही थेकेरा	*(गरचिनिया मोरेल्ला)*
23.	कथोलुअ	*(पलेक्यूइउम अबोवाटीउम)*
24.	कुम्भी	*(केरेया अरबोरया)*
25.	गहोरी सोपा	*(मगनोलिया पैलियना)*
26.	गोमरी	*(गमेलिना अरबोरिया)*

27.	गोहोरा	*(परेन्ना बेंगालेंसिस)*
28.	गोंधसोरोइ	*(कन्नामोनियम ग्रांदीलिफेरूम)*
29.	संलमुगरा	*(हायद्रोकरपुस कुरजिल)*
30.	पोरेंग	*(इलाइआकारपुस रोबुस्टुस)*
31.	सोटीअना	*(अलास्टोनिया स्चोलारइस)*
32.	चोम	*(मचीलुस ओदोराटीस्सिमे)*
33.	चेवा	*(केरयोटा उरेउस)*
34.	जुतुली	*(अल्टीगनिया इक्उलसा)*
35.	जोरी	*(फिकुस बेंजामिने)*
36.	टीटसोपा	*(मिचेनिया चम्पक)*
37.	पेन चोपा	*(मेगनोलिया स्पहेनोचारपा)*
38.	बोहोत	*(अरटोकारपुस लाखौचा)*
39.	फक्देमा	*(टरीविया आरेंटलिस)*
40.	फुल सोपा	*(मेगनोलिया हौकारि)*
41.	बोरहोमथुरी	*(तलाउमा होदगसो)*
42.	बोगी जमुक	*(इयगेनिया कुर्राजे)*
43.	बोर जमुक	*(इयगेनिया जाम्बुलाना)*
44.	बाघ नोला	*(लिटेस्सिया सेबिफेरा)*
45.	भाटघील्ला	*(अरोक्यलुम इंडिकाम)*
46.	बोमोरा	*(टर्मिनालिया बेलेरिका)*
47.	मेजांगकोरी	*(लिटसेया चिटराटा)*
48.	रूदराखा	*(इलाइओकारपुस गनीटरूस)*
49.	रघु	*(अंथोकेफाल्लुस केडम्बा*
50.	सिमुल	*(बोम्बक्स केइबा)*
51.	लतेकु	(बैसाइरा सपेदा)
52.	हीलिखा	*(ट्ररमिनालिका चेम्बुला)*
53.	होउरा	*(ट्ररोपिस असपेरा)*
54.	हल्दु सोपा	*(अदीना कार्डिफ़ोलिया)*
55.	होलोख	*(टर्मिनलिया मेरिओकार्पा)*
56.	हेलोच	*(एंटिदेसमा घेसामेम्बीला)*
57.	भेल्कोर	*(टरेविया नुदीफलोरा)*
58.	बोअल	*(कोरदीया ओबिक्यूइ)*
59.	बोंसुम	*(फोइबे गोअल्फरेंसिस)*
60.	बोरपत	*(अलांथुस ग्रांदीस)*
61.	दीमरू	*(फिकुस स्पा.)*
62.	घोरा नेइम	*(मेलिया इंडिका)*
63.	हुअलु	*(लिटसे पोलयांथा)*
64.	जल्पाइ	*(इलाइओकेरपुस वरूंना)*
65.	कंचन	*(बउहीनिया पुरपुरेया)*

66.	केसेरू	*(हटेरोपनाक्स फराग्रामस)*
67.	खोकोन	*(दुबंगा सोंनेराटोइदेस)*
68.	कोरोइ	*(अल्बेजिया परोकेरा)*
69.	मोज	*(अल्बेजिया लुकिदा)*
70.	मोरोलीया	*(माल्लोटुस अल्बुस)*
71.	नागभे	*(स्चिमा वाल्लिच्चि)*
72.	परोली	*(स्टरोस्पेरमुम चेलोनोइदेस)*
73.	पोमा	*(केदरेला टौना)*
74.	तेपोर टेंगा	*(ग्राकीनिया स्पा)*
	झाड़ियाँ	
1.	हरपागोंधा	*(रावाल्फिया सेरपेंटिना)*
2.	गु- फुल	*(लांटेना कैमेरा)*
3.	जरमोनी	*(इयुपोटोरियम ओदोरातुम)*
4.	जेतुली पोका	*(रूबुस मुलुकेनुस)*
5.	तोरा	*(अल्पिनिया अल्लुघुस)*
6.	धोपट्टीटा	*(फलोगंथुस क्रिविफलोरूस)*
7.	नाल	*(अरूंदोदोनाक्स)*
8.	खोगोरी	*(फरागमीटेस क्रका)*
9.	नीलाजी बोन	*(मिमोसा पुदीका)*
10.	पतीदोइ	*(इलिनोगयने दीचोटोमा)*
11.	पोचोटिया	*(बुद्दलिरिया असिअटिका)*
12.	फुटुका	*(ओस्बेकिया रास्ट्राटा)*
13.	बिओनी हबोटा	*(देस्मोदीउम लाबोरनिउम)*
14.	बहोक टीटी	*(अधाटोडा स्पा.)*
15.	कुपत	*(फरयनिउम स्पा.)*
16.	मखिओटी	*(फ्लेमिंजिया स्टरीकटा)*
17.	मेजेंगा	*(विबुरनुम कोलेबौनुम)*
	रोही	
1.	अमोइलोटा	*(मेनिस्पेरनुम गलाबरूम)*
2.	हरजुरा लोटा	*(किस्सुस क्युदरांगुलारिस)*
3.	अकासीलोटा	*(टराचेलोस्पेरमुम फराग्रांस)*
4.	पनीलोटा	*(दीलिना सेरमेंटोसा)*
5.	कोलीअलोटा	*(मेरेंमिया उमबेल्लाटा)*
6.	पिपोली	*(पिपेर लोंगुम)*
7.	लतुमोनी	*(अबरूस परेकाटोरिउस)*
8.	मेकुरी चली	*(कोम्बरेतुम देकुंदरूम)*
9.	जेंगु बेट	*(कलामुस इरेक्तुस)*
10.	जटी बेट	*(कलामुस टेनेविश)*
11.	रइदंग बेट	*(कालेमुस फलागेल्लुम)*
12.	लेजइ बेट	*(कलेमुस फलोरीबुंदुस)*

होल्लोनगपर गिब्बन अभयारण्य के जीवजंतुओं की सूची:

क्र.सं.	**अंग्रेज़ी नाम (स्थानीय नाम)**	**वैज्ञानिक नाम**	**अनुसूची**
स्तनधारी			
1.	बाघ (स्ट्राय)	(*पैंथेरा टाइगरिस*),	अनुसूची – I
2.	एशियाई हाथी	(*एलिफस मैक्सीमूस*)	अनुसूची
3.	तेंदुआ	(*पेन्थेरा प्रड्यूस*)	अनुसूची
4.	साल	*मानिस क्रैसिकाउडाटा*)	अनुसूची
5.	बनबिलार	*(फेलिस चाउस)*	अनुसूची – II
6.	भारतीय सिवेट	*(विवेरिरियेया स्पा.)*	अनुसूची
7.	विशाल गिलहरी	*(रेतुफा बिकोलोर)*	अनुसूची
8.	मुंजक	*((मुनटीक्स मुनतजक))*	अनुसूची - III
9.	सांभर हिरण	*(केरवुस यूनिकोलोर)*	अनुसूची
10.	जंगली सूअर	*(सस स्क्रोफ़ा)*	अनुसूची
11.	पांच धारीदार गिलहरी	*(फनाम्बुलुस पेन्नंती)*	अनुसूची
सरीसृप और उभयचर			
1.	इंडियन पायथन	*(गेनुस पायथन)*	अनुसूची – I
2.	सामान्य मॉनिटर लिर्जाड	*(वरानुस गरीसूस*	अनुसूची
3.	भारतीय टेंट टुरटले	*(काचुगटक्टा टेक्टा)*	अनुसूची
4.	गैक्को	*(कलादुक्टयलोदीस उयरेउस)*	अनुसूची
5.	सामान्य कोबरा	*(नाजा स्पा)*	अनुसूची – II
पक्षी जीव (पक्षी)			
1.	वाइट विंजेड वुड डुक	(कैरीना स्कुटुलाटा)	अनुसूची -I
2.	हॉन बिल्ल	*(पटीलालाइमुस टीक्काली उयस्टेनि)*	अनुसूची
3.	भारतीय पिइड हॉन बिल्ल	*(अंथराकोकेरोस मालाबरिकुस*	अनुसूची
4.	ओसपरेय	*(पंदीओन हलिटटुस)*	अनुसूची
5.	हील्ल मैना	*(ग्राकुला रेलिगिओसा इंडिका)*	अनुसूची
6.	कालिज फैसांत	*(लोफुरस लेउकोमाला)*	अनुसूची
7.	बब्बलेरस	*(टीमालिनाया स्पा.)*	अनुसूची –IV
8.	बारबेटस	*(कपिटोनिदेया स्पा.)*	अनुसूची
9.	बिट्टेरंस	*(अरदीदेया स्पा.)*	अनुसूची
10.	बुलबुलस	*(पायकनोनोटीदिया स्पा)*	अनुसूची
11.	कोरमोरांटस	*(फलाक्रोकोरासिदिया)*	अनुसूची
12.	उक्कौस	*(कुकुलिदिया)*	अनुसूची
13.	डारटेरस	*(फलाक्रोकोराकिदिया)*	अनुसूची
14.	डरोवेस	*(कुलुम्बिदिया)*	अनुसूची
15.	इगरेटस	*(अरीदेदिया)*	अनुसूची
16.	बलुइ जायस	*(कोराकिदेया)*	अनुसूची
17.	जंगल फोवल	*(फसिअनीदिया)*	अनुसूची

18.	किंग फिशर	*(अल्केदिनिदिया)*	अनुसूची
19.	मगपिइस	*(कोरविदिया)*	अनुसूची
20.	मिनिवेटस	*(कामपफागिदिया)*	अनुसूची
21.	मुनिअस	*(इस्टरीलिदिनाया)*	अनुसूची
22	मयनाह	*(स्तुरनिडे)*	अनुसूची
23	ओरिओलस	*(ओरिओलिडे)*	अनुसूची
24	ओवलस	*(स्टरिगिदिडे)*	अनुसूची
25	पररकैटस	*(पसिट्टाकिडे)*	अनुसूची
26	साल	*(कोलुम्बिडे)*	अनुसूची
27	टेअलस	*(अनातीडे)*	अनुसूची
28	ट्री पिइस	*(कोरविडे)*	अनुसूची
29	बायस	*(पलोकेइडे)*	अनुसूची
30	वुड पेक्केरस	*(पिकिडे)*	अनुसूची
31	टीटस	*(परिदे)*	अनुसूची

उपाबंध VI

होल्लोनगपर गिब्बन अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	तालुका/ मौज़ा	जीपीएस निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	भाग का मारोंगिअल गांव	नाकाचारी	26°40′23.56″उ	94°24′19.47″ पू
2	पश्चिमी भाग का डेबेरापार चारीअली	नाकाचारी	26°41′15.5″उ	94°23′58.2″पू
3	नागाकाटा गांव	नाकाचारी	26°39′10.3″उ	94°23′49.3″पू
4	ना-पाम गांव	नाकाचारी	26°39′16.0″उ	94°24′11.1″पू
5	दीहींगिया गांव	नाकाचारी	26°40′13.5″उ	94°23′11.2″पू
6	चिनतोली गांव	नाकाचारी	26°40′01.56″उ	94°23′43.05″पू
7	मयतजुली गांव	नाकाचारी	26°39′36.1″उ	94°23′23.3″पू
8	खाटीसोना गांव	नाकाचारी	26°40′33.4″उ	94°22′12.6″पू
9	तरउल भेटा गांव	नाकाचारी	26°41′46.12″उ	94°23′0.27″पू
10	रतनपुर गांव	नाकाचारी	26°40′45.1″उ	94°22′58.5″पू
11	काराजिपर गांव	नाकाचारी	26°40′36.7″उ	94°22′31.0″पू
12	अफलामुख गांव	नाकाचारी	26°41′04.3″उ	94°22′54.7″पू
13	कलिया गांव	नाकाचारी	26°40′49.6″उ	94°22′2.54″पू
14	2 नम्बर दरीकिल राजाबरी	नाकाचारी	26°42′20.8″उ	94°23′19.7″पू
15	पश्चिमी भाग का नागादेरा	नाकाचारी	26°43′31.1″उ	94°23′39.4″पू
16	जोतोकिया गांव	नाकाचारी	26°43′58.09″उ	94°20′54.39″पू
17	नैमती गांव	नाकाचारी	26°40′54.8″उ	94°22′52.6″पू
18	फसुअल गांव	नाकाचारी	26°43′48.6″उ	94°20′55.6″पू
19	करी गांव	नाकाचारी	26°44′11.3″उ	94°20′25.9″पू
20	भुगपुर गांव	नाकाचारी	26°42′21.1″उ	94°20′28.1″पू

21	गोबिंपुर गांव	नाकाचारी	26°42′15.58″उ	94°20′14.58″पू
22	मधुपुर गांव	नाकाचारी	26°42′18.2″उ	94°20′14.7″पू
23	तुनिमुख गांव	नाकाचारी	26°42′32.2″उ	94°20′06.9″पू
24	गोसपुरिया गांव	नाकाचारी	26°43′44.3″उ	94°20′28.4″पू
25	हींदुबरी गांव	नाकाचारी	26°43′39.5″उ	94°18′40.3″पू
26	मेलेंग लखिपुर गांव	नाकाचारी	26°40′56.4″उ	94°21′37.7″पू

उपाबंध-VII

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

S.O. 1828(E).—The following draft of Notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said Draft Notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the Draft Notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Hollongapar-Gibbon Sanctuary was notified by the Government of Assam vide Notification No. FRS/37/97/13, dated 30.07.1997, by upgrading the conservation status of the Hollongapar Reserve Forest declared earlier vide Notification No. 8, dated 27.08.1881;

AND WHEREAS, the Sanctuary is an important protected area of 2098.621 ha (20.98 Sq km) and situated in Jorhat District of Assam state. The pass through it and the perennial river Bhogdoi passes along the catchment ecological environment of the sanctuary is unique where several seasonal small streams comprising of Hollongapar Mouza (Taluka) and Nakachari Mouza (Taluka) of Jorhat District which are the main sources of water for the animals in the sanctuary;

AND WHEREAS, the floral biodiversity of the Sanctuary includes 74 tree species, 17 species of shrubs and 12 species of climbers. The tree species include Hollong (*Dipterocarpus retusa*), Sam (*Artocarpus chaplasha*), Amari (*Amoora wallichii*), Sopas (*Michelia spp.*), Bhelu (*Tetramelos nudiflora*), Udal (*Sterculia villosa*), Hingori (*Castanopsis spp.*), Nahor (*Musua ferrea*), Bandordima (*Dysoxylum procerum*), Dhuna (*Canarium resiniferum*), Bhomora (*Terminalia belerica*), Ful Gomari (*Gmelina Spp.*), Bon Bogori (*Pterospermum lanceofolum*), Morhal (*Vatica lanceofolia*), Sassi (*Aquilaria agolacha*), Otenga (*Dillenia indica*), Ajar (*Lagerstroemia flos-reginae*), Bon-Am (*Mangifera silvatica*), Amora (*Spondias Mangifera*), Uriam (*Biscofia javanica*), Selleng (*Sapium baccatum*), Mahi thekera (*Garcinia morella*), Katholua (*Palequium obovatium*), Kumbhi (*Careya arborea*), Gahori Sopa (*Magnolia Pealiana*), Gomari (*Gmelina arborea*), Gohora (*Premna bengalensis*), Gondhsoroi (*Cinnamonium grandiliferum*), Salmugra (*Hydrocarpus kurzil*), Poreng (*Elaeocarpus robustus*), Sotiona (*Alostonia scholaris*), Chom (*Machilus odoratissime*), Chewa (*Caryota ureus*), Jutuli (*Altingia exulsa*), Jori (*Fiscus benjamine*), Titasopa (*Michelia champaka*), Pan chopa (*Magnolia sphenocarpa*), Bohot (*Artocarpus lakoocha*), Fakdema (*Triwea orentalis*), Phul Sopa (*Magnolia hookari*), Borhomthuri (*Talauma Hodgsoni*), Bogi jamuk (*Eugenia kurzii*), Bor jamuk (*Eugenia jambulana*), Bagh nola (*Litssea Sebifera*), Bhatghilla (*Oroxylum Indicam*), Bomora (*Terminalia belerica*), Mejangkori (*Litsea citrata*), Khokon (*Dubhanga sonneratoides*), Rudrakha (*Elaeocarpus ganitrus*), Raghu (*Anthocephallus cadamba*), Simul (*Bombax ceiba*), Leteku (*Baceaurea sapeda*), Hilikha (*Terminalic chebula*), Houra (*Trophis aspera*), Haldu Sopa (*Adine cardifolia*), Holokh (*Terminalia myriocarpa*), Heloch (*Antidesma ghesaembilla*), Bhelkor (*Trewia nudiflora*), Boal (*Cordia oblique*), Bonsum (*Phoebe goalparensis*), Borpat (*Ailanthus grandis*), Dimaru (*Ficus Spp.*), Ghora neem (*Melia indica*), Hualu (*Litsaea polyantha*), Jalpai (*Elaeocarpus varunna*), Kanchan (*Bauhinia purpurea*), Keseru (*Heteropanax fragrams*), Koroi (*Albezzia procera*), Moj (*Albezzia lucida*), Morolia (*Mallotus albus*), Nagabhe (*Schima wallichii*), Paroli (*Sterospermum chelonoides*), Poma (*Cedrela toona*) and Tepor tenga (*Garcinia spp.*);

AND WHEREAS, the shrubs and climbers species include Harpagondha (*Rawolfia serpentina*), Guphul (*Lantena camera*), Jarmoni (*Eupotorium odoratum*), Jetuli poka (*Rubus mulucanus*), Tora (*Alpinea allughus*), Dhopattita (*Phloganthus crriviflorus*), Nal (*Arundodonax*), Khogori (*Phragmites karka*), Nilaji bon (*Mimosa pudica*), Patidoi (*Elinogyne dichotoma*), Pochotia (*Buddliria asiatica*), Phutuka (*Osbeckia rastrata*), Bioni Habota (*Desmodium labornifolium*), Bahok tita (*Adhatoda spp.*), Kaupat (*Phrynium spp.*), Makhioti (*Fleminzia stricta*), Mejenga (*Viburnum colebookianum*), Amoilota (*Menispernum glabrum*), Harjura lota (*Cissus quadrangularis*), Akashilota (*Trachelospermum fragrans*), Panilota (*Dilina sermentosa*), Kolialota (*Merremia umbellata*), Pipoli (*Piper longum*), Latumoni (*Abrus Precatorious*), Mekuri chali (*Combretum decundrum*), Jengu bet (*Calamus erectus*), Jati bet (*Calamus tenewise*), Raidang bet (*Calemus flagellum*) and Lejai bet (*Calemus floribundus*). The important rare species such as *Dipterocarpus retusa*, *Ficus* spp., *Artocarpus chaplasa*, *Litsea citrata*, *Aquilaria agalocha*, etc. in addition to medicinal climbers, bushes, moss, fern etc. also exist in the sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary supports 11 mammals species, 5 species of reptiles and amphibians and 31 avifaunal species including Tiger (stray) (*Panthera tigris*), Asiatic elephant (*Elephus maximus*), Leopard (*Panthera pardus*), Pangolin (*Manis crassicaudata*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Indian Civet (*Viverridae spp.*), Giant squirrel (*Retufa bicolor*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Sambar deer (*Cervus unicolour*), Wild Pig (*Sus scorfa*), Five-striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*), Indian Python (*Genus python*), Common Monitor Lizard (*Varanus grisus*), Indian Tent Turtle (*Kachuga tecta tecta*), Geacko (*Caloductyloids aureus*), Common Cobra (*Naja spp.*), White Winged wood Duck (*Cairina scutulata*), Horn Bill (*Ptilolaemus tickali austeni*), Indian Pied Horn Bill (*Anthracoceros malabaricus*), Osprey (*Pandion haliatetus*), Hill Myna (*Gracula religiosa indica*), Kalij pheasant (*Lophurs leucomala*), Babblers (*Timaliinae spp.*), Barbets (*Capitonidae spp.*), Bitterns (*Ardeidae spp.*), King Fisher (*Alcedinidae*), Orioles (*Oriolidae*), Bulbuls (*Pycnonotidae spp.*), Owls (*Strigidae*), Egrets (*Arideidae*), Cormorants (*Phalacrocoracidie*), Mynah (*Sturnidae*), Cuckoos (*Cuculidae*), Magpies (*Corvidae*), Pigeons (*Columbidae*), Darters (*Phalacrocoracidae*), Droves (*Columbidae*), Blue jays (*Coraciidae*), Teals (*Anatidae*), Tree Pies (*Corvidae*), Bayas (*Ploceidae*), Jungle Fowl (*Phasianidae*), Minivets (*Campephagidae*), Munias (*Estrildinae*), Parakeets (*Psittacidae*), Wood Peckers (*Picidae*) and Tits (*Paridae*). The sanctuary also protects seven rare primate species enriching the biodiversity;

AND WHEREAS, heterogeneous landscapes of the Sanctuary is an integral part of a critical elephant corridor along with Disai and Disai Valley reserved forests, and the adjoining landscape of Nagaland on the south;

AND WHEREAS, the sanctuary is situated about 3.0 km from Mariani Mouza (Taluka) and 18 km from Jorhat city and due to the fast urbanization it may have adverse affect on birds, animals and the sanctuary in the long run; a railway line and a road also pass through the sanctuary opening it to vehicular traffic and causing damage to the ecosystem of the sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic. Hence, it is necessary to conserve and protect the area around the Sanctuary from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 264.62 Sq. Km with an extent varying from 0.0 (sharing interstate boundary with Nagaland) to 22.54 Km from the boundary of the Hollongapar Gibbon Sanctuary in the State of Assam as the Eco-Sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under:-

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone:-**(1) The area of Eco-Sensitive Zone is 2098.621 ha (20.98 Sq km). The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (sharing interstate boundary with Nagaland) to 22.54 Km from the boundary of the Sanctuary.

(2) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is given in **Annexure I**.

(3) Map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure II**.

(4) Land use and land cover map of Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure III**.

(5) The coordinates of Eco-Sensitive Zone with its latitudes and longitudes, appended as **Annexure IV**.

(6) A list of the recorded flora and fauna in the protected and adjoining areas is enclosed at **Annexure V.**

(7) The list of villages falling within Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure VI**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone:- (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:

(i) Environment Department;

(ii) Forest and Wildlife Department;

(iii) Agriculture & Horticulture Department;

(iv) Land Revenue and Settlement Department

(v) Rural Development Department;

(vi) Urban development Department;

(vii) Municipal Department;

(viii) Panchayati Raj Department;

(ix) Tourism including Eco-tourism Department;

(x) Irrigation and Flood Control Department;

(xi) Revenue Department;

(xii) Public Works Department;

(xiii) Assam State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. **Measures to be taken by State Government:-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely:

(1) **Landuse:** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries;

(v) Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(vi) Promoted activities and activities given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case

and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural water bodies:-**The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism:-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage:- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites:- Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution:- Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and amendments thereto.

(7) Air pollution:- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents:- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes:- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the relevant rules notified by the state Government;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste:- Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management:- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management:- The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste Management:- The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic:- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution:- The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units:- (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes:

The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

(4) List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation

Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism / Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:

		(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.

25.	Use of plastic bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee:-**In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Deputy Commissioner, Jorhat	-Chairman;
(ii)	Senior Town Planner of the area	-Member;
(iii)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Assam	-Member;
(iv)	Regional Officer, Assam State Pollution Control Board, Sibsagar	-Member;
(v)	One expert in Ecology from reputed Institution/University of Assam to be nominated by the Government of Assam	-Member;
(vi)	Member Secretary, State Biodiversity Board, Assam	-Member;
(vii)	District Industries Officer, Jorhat	-Member;
(viii)	District Agriculture Officer, Jorhat	-Member;
(ix)	District Fishery Officer, Jorhat	-Member;
(x)	Divisional Forest Officer, Jorhat Division, Jorhat	-Member Secretary.

6.Terms of Reference:-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as

specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at **Annexure VII.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

(10) The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/55/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) of Hollongapar-Gibbon Sanctuary, Assam

East:- From GPS Point No. 1 (94° 23' 14.681" E & 26° 41' 29.920" N) the boundary runs along the Tea Garden crossing the GPS Point No.2 till it meets the GPS Point No. 3 (94° 22' 16.632" E & 26° 40' 17.275" N). From GPS Points No.3 the boundary runs towards south along the road till it meets the GPS Points No.4 (94° 22' 27.612" E & 26° 40' 3.979" N). From GPS Points No.4 again the boundary runs along the Tea Garden boundary crossing the GPS Point No.5 till it meets the GPS Points No.6 (94° 23' 9.328" E & 26° 39' 47.632" N). From GPS Points No.6 again the boundary runs towards south along the road till it meet the GPS Points No.7 (94° 23' 36.674" E & 26° 39' 15.625" N). From GPS Points No.7 the boundary runs along the Tea Garden till it meets the GPS Points No.8 (94° 23' 54.414" E & 26° 38' 45.600" N). From GPS Point No. 8 the boundary runs towards east along the reserve forest boundary of Disai Reserve Forest crossing the GPS Point No. 9 & 10 till it meets the GPS Point No.11 (94° 27' 10.359" E & 26° 39' 16.601" N). From GPS Point No.11 the boundary runs along the reserve forest boundary (Assam Nagaland Inter State Boundary) till it meet the GPS Point No.12 (94° 27' 57.392" E & 26° 38' 0.138" N).

South:-From GPS Point No. 12 (94° 27' 57.392" E & 26° 38' 0.138" N) the boundary runs towards west along the reserve forest boundary of Disai & Disai Valley reserve forests (Assam Nagaland Inter State Boundary) crossing the GPS Point No. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 & 29 till it meets the GPS Point No. 30 (94° 18' 59.946" E & 26° 27' 32.039" N).

West:-From GPS Point No. 30 (94° 18' 59.946" E & 26° 27' 32.039" N) the boundary runs towards north along the reserve forest boundary of Disai Valley reserve forest (Assam Nagaland Inter State Boundary) crossing the GPS Points No. 31,32,33,34 & 35 till it meets the GPS Point No. 36 (94° 17' 4.305" E & 26° 33' 44.203" N). From GPS Point No. 36 the boundary turn towards east along the Disai Valley reserve forest boundary crossing the GPS Points No. 37,38,39,40 & 41 till it meets the GPS Point No. 42 (94° 23' 6.610" E & 26° 37' 57.755" N). From GPS Point No. 42 the boundary runs towards north along the right bank of river Bhogdai or Disai river crossing the GPS Points No. 43,44,45,46,47,48,49 & 50 till it meets the GPS Point No.51 (94° 16' 48.306" E & 26° 43' 59.786" N). 23' 24.281" E & 26° 44' 18.300" N). From GPS Point No. 56 the boundary runs towards south along the road crossing the GPS Point No.57 till it meets the GPS Point No. 58 (94° 24' 2.960" E & 26° 41' 18.688" N). From GPS Point No. 58 the boundary runs towards west along the road till it meets the GPS Point No. 59 (94° 23' 16.032" E & 26° 40' 50.899" N).

North:-. From GPS Point No. 59 the boundary runs towards north along the road till it meet the GPS Point No. 1 (94° 23' 14.681" E & 26° 41' 29.920" N).

The Western boundary of the Sanctuary share interstate boundary with Nagaland and hence is 0.0 km of Eco-Sensitive Zone is being proposed. The extent of Eco-Sensitive Zone varies from 0.0 Km (interstate boundary with Nagaland) to 22.54 km.

Annexure II

Map of Eco-Sensitive Zone boundary of Hollongapar-Gibbon Sanctuary together with its latitudes and longitude of extremes and extent:

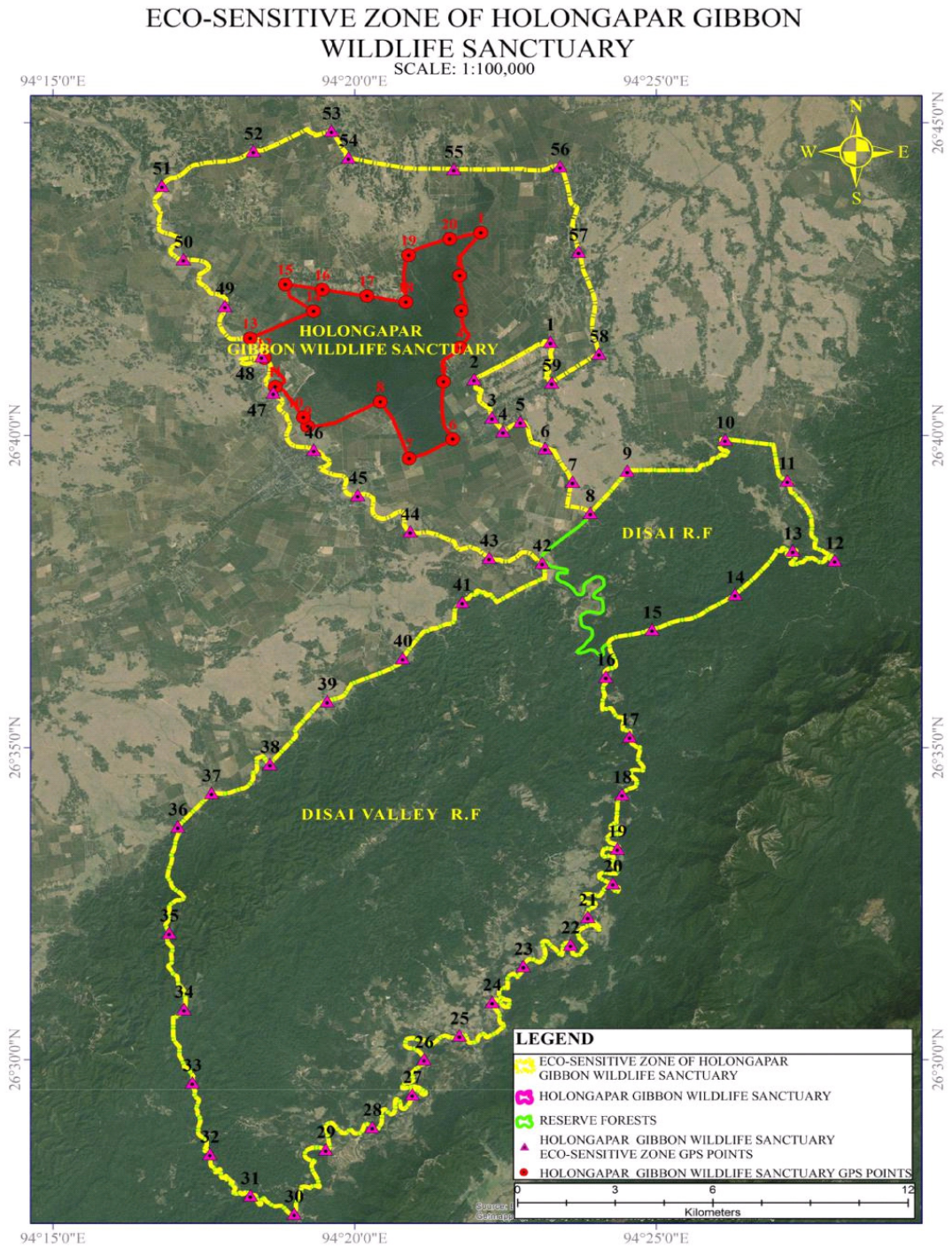

Annexure III

Land use and land cover map showing the Hollongapar-Gibbon Sanctuary and Eco-Sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent:

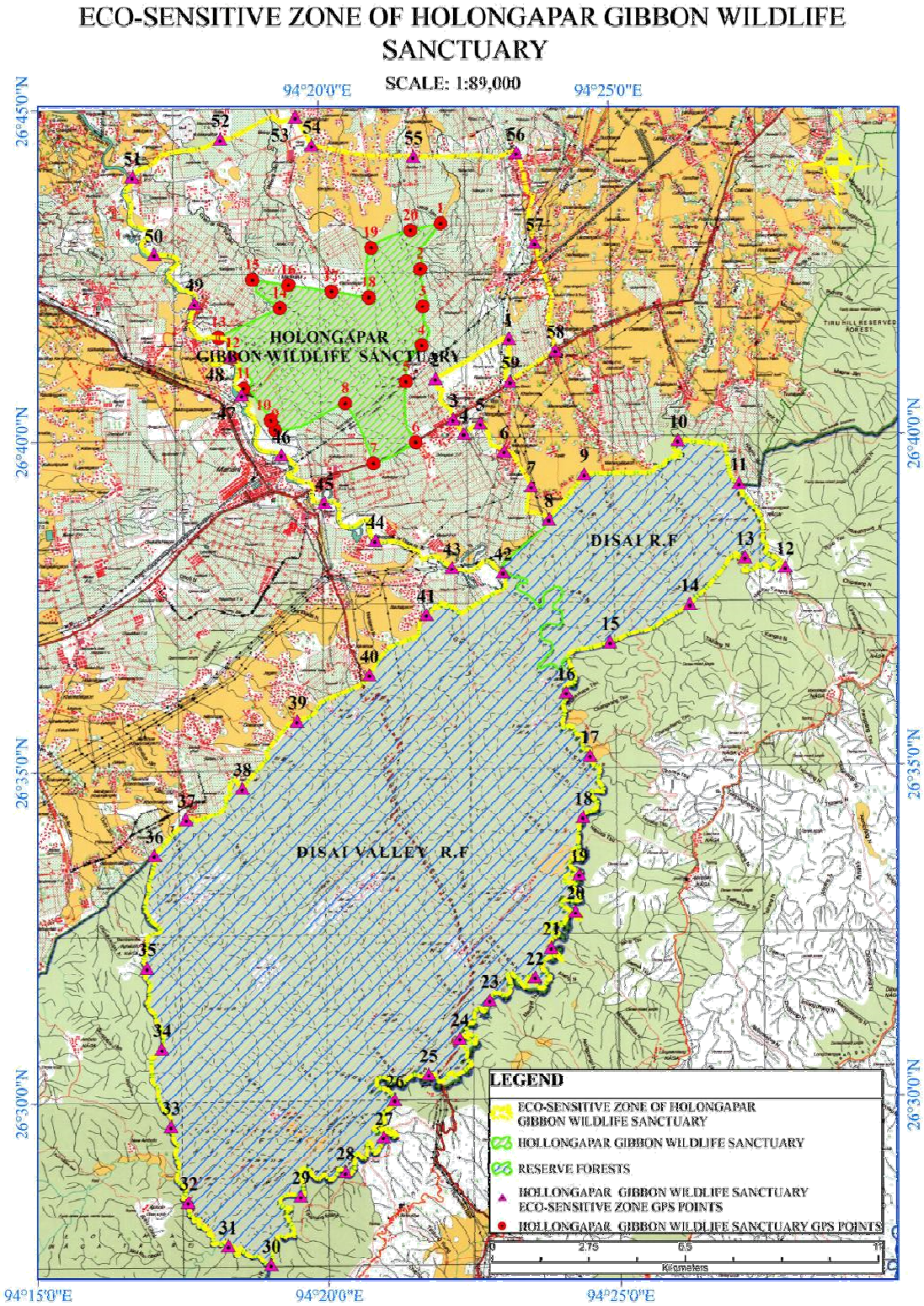

Annexure IV

GPS coordinates showing prominent points of Hollongapar-Gibbon Sanctuary:

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 22' 5.369" E	26° 43' 14.526" N
2	94° 21' 44.154" E	26° 42' 33.281" N
3	94° 21' 45.902" E	26° 41' 59.451" N
4	94° 21' 44.588" E	26° 41' 24.186" N
5	94° 21' 28.134" E	26° 40' 51.434" N
6	94° 21' 37.449" E	26° 39' 56.337" N
7	94° 20' 54.065" E	26° 39' 37.576" N
8	94° 20' 25.370" E	26° 40' 32.105" N
9	94° 19' 13.121" E	26° 40' 8.556" N
10	94° 19' 8.815" E	26° 40' 17.324" N
11	94° 18' 41.036" E	26° 40' 46.645" N
12	94° 18' 30.120" E	26° 41' 14.195" N
13	94° 18' 15.841" E	26° 41' 32.983" N
14	94° 19' 18.964" E	26° 41' 59.067" N
15	94° 18' 50.889" E	26° 42' 24.862" N
16	94° 19' 27.784" E	26° 42' 19.920" N
17	94° 20' 12.239" E	26° 42' 13.733" N
18	94° 20' 50.712" E	26° 42' 7.986" N
19	94° 20' 53.612" E	26° 42' 52.873" N
20	94° 21' 34.283" E	26° 43' 8.484" N

GPS coordinates showing prominent points of the Eco-Sensitive Zone boundary of Hollongapar-Gibbon Sanctuary:

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1	94° 23' 14.681" E	26° 41' 29.920" N
2	94° 21' 58.733" E	26° 40' 54.190" N
3	94° 22' 16.632" E	26° 40' 17.275" N
4	94° 22' 27.612" E	26° 40' 3.979" N
5	94° 22' 44.856" E	26° 40' 13.435" N
6	94° 23' 9.328" E	26° 39' 47.632" N
7	94° 23' 36.674" E	26° 39' 15.625" N
8	94° 23' 54.414" E	26° 38' 45.600" N
9	94° 24' 31.095" E	26° 39' 26.119" N
10	94° 26' 8.448" E	26° 39' 56.055" N

11	94° 27' 10.359" E	26° 39' 16.601" N
12	94° 27' 57.392" E	26° 38' 0.138" N
13	94° 27' 15.774" E	26° 38' 9.378" N
14	94° 26' 18.451" E	26° 37' 27.401" N
15	94° 24' 55.909" E	26° 36' 53.720" N
16	94° 24' 9.908" E	26° 36' 8.385" N
17	94° 24' 33.452" E	26° 35' 10.842" N
18	94° 24' 25.974" E	26° 34' 15.262" N
19	94° 24' 21.288" E	26° 33' 23.163" N
20	94° 24' 16.844" E	26° 32' 49.680" N
21	94° 23' 51.958" E	26° 32' 17.464" N
22	94° 23' 34.682" E	26° 31' 50.761" N
23	94° 22' 47.947" E	26° 31' 30.131" N
24	94° 22' 16.926" E	26° 30' 55.641" N
25	94° 21' 44.231" E	26° 30' 23.364" N
26	94° 21' 9.009" E	26° 30' 0.605" N
27	94° 20' 57.257" E	26° 29' 26.790" N
28	94° 20' 17.557" E	26° 28' 55.367" N
29	94° 19' 31.392" E	26° 28' 33.835" N
30	94° 18' 59.946" E	26° 27' 32.039" N
31	94° 18' 16.389" E	26° 27' 49.605" N
32	94° 17' 36.034" E	26° 28' 29.485" N
33	94° 17' 18.566" E	26° 29' 38.238" N
34	94° 17' 10.442" E	26° 30' 48.756" N
35	94° 16' 55.540" E	26° 32' 2.181" N
36	94° 17' 4.305" E	26° 33' 44.203" N
37	94° 17' 37.623" E	26° 34' 16.571" N
38	94° 18' 35.813" E	26° 34' 44.390" N
39	94° 19' 32.812" E	26° 35' 44.785" N
40	94° 20' 47.911" E	26° 36' 26.203" N
41	94° 21' 46.973" E	26° 37' 20.167" N
42	94° 23' 6.610" E	26° 37' 57.755" N
43	94° 22' 13.726" E	26° 38' 2.520" N
44	94° 20' 55.265" E	26° 38' 27.840" N
45	94° 20' 3.032" E	26° 39' 2.789" N
46	94° 19' 19.293" E	26° 39' 46.253" N
47	94° 18' 39.098" E	26° 40' 41.041" N

48	94° 18' 27.490" E	26° 41' 15.839" N
49	94° 17' 51.098" E	26° 42' 4.516" N
50	94° 17' 9.801" E	26° 42' 49.134" N
51	94° 16' 48.306" E	26° 43' 59.786" N
52	94° 18' 19.472" E	26° 44' 33.213" N
53	94° 19' 37.013" E	26° 44' 52.619" N
54	94° 19' 53.855" E	26° 44' 26.751" N
55	94° 21' 38.543" E	26° 44' 15.740" N
56	94° 23' 24.281" E	26° 44' 18.300" N
57	94° 23' 42.683" E	26° 42' 56.295" N
58	94° 24' 2.960" E	26° 41' 18.688" N
59	94° 23' 16.032" E	26° 40' 50.899" N

Annexure V

List of flora of Hollongapar Gibbon Sanctuary:

Sl. No.	English Name (Local Name)	Scientific Name
1.	Hollong	*(Dipterocarpus retusa)*
2.	Sam	*(Artocarpus chaplasha)*
3.	Amari	*(Amoora wallichii)*
4.	Sopas	*(Michelia spp.)*
5.	Bhelu	*(Tetramelos nudiflora)*
6.	Udal	*(Sterculia villosa)*
7.	Hingori	*(Castanopsis spp.)*
8.	Nahor	*(Musua ferrea)*
9.	Bandordima	*(Dysoxylum procerum)*
10.	Dhuna	*(Canarium resiniferum)*
11.	Bhomora	*(Terminalia belerica)*
12.	Ful Gomari	*(Gmelina Spp.)*
13.	Bon Bogori	*(Pterospermum lanceofolum)*
14.	Morhal	*(Vatica lanceofolia)*
15.	Sassi	*(Aquilaria agolacha)*
16.	Otenga	*(Dillenia indica)*
17.	Ajar	*(Lagerstroemia flos-reginae)*
18.	Bon - Am	*(Mangifera silvatica)*
19.	Amora	*(Spondias Mangifera)*
20.	Uriam	*(Biscofia javanica)*
21.	Selleng	(Sapium baccatum)

22.	Mahi thekera	*(Garcinia morella)*
23.	Katholua	*(Palequium obovatium)*
24.	Kumbhi	*(Careya arborea)*
25.	Gahori Sopa	*(Magnolia Pealiana)*
26.	Gomari	*(Gmelina arborea)*
27.	Gohora	*(Premna bengalensis)*
28.	Gondhsoroi	*(Cinnamonium grandiliferum)*
29.	Salmugra	*(Hydrocarpus kurzil)*
30.	Poreng	*(Elaeocarpus robustus)*
31.	Sotiona	*(Alostonia scholaris)*
32.	Chom	*(Machilus odoratissime)*
33.	Chewa	*(Caryota ureus)*
34.	Jutuli	*(Altingia exulsa)*
35.	Jori	*(Fiscus benjamine)*
36.	Titasopa	*(Michelia champaka)*
37.	Pan chopa	*(Magnolia sphenocarpa)*
38.	Bohot	*(Artocarpus lakoocha)*
39.	Fakdema	*(Triwea orentalis)*
40.	Phul Sopa	*(Magnolia hookari)*
41.	Borhomthuri	*(Talauma Hodgsoni)*
42.	Bogi jamuk	*(Eugenia kurzii)*
43.	Bor jamuk	*(Eugenia jambulana)*
44.	Bagh nola	*(Litssea Sebifera)*
45.	Bhatghilla	*(Oroxylum Indicam)*
46.	Bomora	*(Terminalia belerica)*
47.	Mejangkori	*(Litsea citrata)*
48.	Rudrakha	*(Elaeocarpus ganitrus)*
49.	Raghu	*(Anthocephallus cadamba)*
50.	Simul	*(Bombax ceiba)*
51.	Leteku	*(Baceaurea sapeda)*
52.	Hilikha	*(Terminalic chebula)*
53.	Houra	*(Trophis aspera)*
54.	Haldu Sopa	*(Adine cardifolia)*
55.	Holokh	*(Terminalia myriocarpa)*
56.	Heloch	*(Antidesma ghesaembilla)*
57.	Bhelkor	*(Trewia nudiflora)*
58.	Boal	*(Cordia oblique)*

59.	Bonsum	*(Phoebe goalparensis)*
60.	Borpat	*(Ailanthus grandis)*
61.	Dimaru	*(Ficus Spp.)*
62.	Ghora neem	*(Melia indica)*
63.	Hualu	*(Litsaea polyantha)*
64.	Jalpai	*(Elaeocarpus varunna)*
65.	Kanchan	*(Bauhinia purpurea)*
66.	Keseru	*(Heteropanax fragrams)*
67.	Khokon	*(Dubhanga sonneratoides)*
68.	Koroi	*(Albezzia procera)*
69.	Moj	*(Albezzia lucida)*
70.	Morolia	*(Mallotus albus)*
71.	Nagabhe	*(Schima wallichii)*
72.	Paroli	*(Sterospermum chelonoides)*
73.	Poma	*(Cedrela toona)*
74.	Tepor tenga	*(Garcinia spp.)*
Shrubs		
1.	Harpagondha	*(Rawolfia serpentina)*
2.	Gu-phul	*(Lantena camera)*
3.	Jarmoni	*(Eupotorium odoratum)*
4.	Jetuli poka	*(Rubus mulucanus)*
5.	Tora	*(Alpinea allughus)*
6.	Dhopattita	*(Phloganthus crriviflorus)*
7.	Nal	*(Arundodonax)*
8.	Khogori	*(Phragmites karka)*
9.	Nilaji bon	*(Mimosa pudica)*
10.	Patidoi	*(Elinogyne dichotoma)*
11.	Pochotia	*(Buddliria asiatica)*
12.	Phutuka	*(Osbeckia rastrata)*
13.	Bioni Habota	*(Desmodium labornifolium)*
14.	Bahok tita	*(Adhatoda spp.)*
15.	Kaupat	*(Phrynium spp.)*
16.	Makhioti	*(Fleminzia stricta)*
17.	Mejenga	*(Viburnum colebookianum)*
Climbers		
1.	Amoilota	*(Menispernum glabrum)*
2.	Harjura lota	*(Cissus quadrangularis)*

3.	Akashilota	*(Trachelospermum fragrans)*
4.	Panilota	*(Dilina sermentosa)*
5.	Kolialota	*(Merremia umbellata)*
6.	Pipoli	*(Piper longum)*
7.	Latumoni	*(Abrus Precatorious)*
8.	Mekuri chali	*(Combretum decundrum)*
9.	Jengu bet	*(Calamus erectus)*
10.	Jati bet	*(Calamus tenewise)*
11.	Raidang bet	*(Calemus flagellum)*
12.	Lejai bet	*(Calemus floribundus)*

List of fauna of Hollongapar Gibbon Sanctuary:

Sl. No.	**English Name (Local Name)**	**Scientific Name**	**Schedule**
Mammals			
1.	Tiger (stray)	*(Panthera tigris)*	Schedule – I
2.	Asiatic elephant	*(Elephus maximus)*	----- do -----
3.	Leopard	*(Panthera pardus)*	----- do -----
4.	Pangolin	*(Manis crassicaudata)*	----- do -----
5.	Jungle Cat	*(Felis chaus)*	Schedule – II
6.	Indian Civet	*(Viverridae spp.)*	----- do -----
7.	Giant squirrel	*(Retufa bicolor)*	----- do -----
8.	Barking Deer	*(Muntiacus muntjak)*	Schedule - III
9.	Sambar deer	*(Cervus unicolour)*	------ do -----
10.	Wild Pig	*(Sus scorfa)*	------ do ------
11.	Five-striped palm squirrel	*(Funambulus pennanti)*	------ do ------
Reptiles & Amphibians			
1.	Indian Python	*(Genus python)*	Schedule – I
2.	Common Monitor Lizard	*(Varanus grisus)*	------ do ------
3.	Indian Tent Turtle	*(Kachugatecta tecta)*	------do ------
4.	Geacko	*(Caloductyloids aureus)*	------do ------
5.	Common Cobra	*(Naja spp.)*	Schedule – II
Avi fauna (Birds)			
1.	White Winged woodDuck	(*Cairina scutulata)*	Schedule-I
2.	Horn Bill	*(Ptilolaemus tickali austeni)*	------do ------
3.	Indian Pied Horn Bill	*(Anthracoceros malabaricus*)	------do ------
4.	Osprey	*(Pandion haliatetus)*	------do ------
5.	Hill Myna	*(Gracula religiosa indica)*	------do ------

6.	Kalij pheasant	*(Lophurs leucomala)*	------do ------
7.	Babblers	*(Timaliinae spp.)*	Schedule –IV
8.	Barbets	*(Capitonidae spp.)*	------do ------
9.	Bitterns	*(Ardeidae spp.)*	------do ------
10.	Bulbuls	*(Pycnonotidae spp.)*	------do ------
11.	Cormorants	*(Phalacrocoracidie)*	------do ------
12.	uckoos	*(Cuculidae)*	------do ------
13.	Darters	*(Phalacrocoracidae)*	------do ------
14.	Droves	*(Columbidae)*	------do ------
15.	Egrets	*(Arideidae)*	------do ------
16.	Blue jays	*(Coraciidae)*	------do ------
17.	Jungle Fowl	*(Phasianidae)*	------do ------
18.	King Fisher	*(Alcedinidae)*	------do ------
19.	Magpies	*(Corvidae)*	------do ------
20.	Minivets	*(Campephagidae)*	------do ------
21.	Munias	*(Estrildinae)*	------do ------
22	Mynah	*(Sturnidae)*	------do ------
23	Orioles	*(Oriolidae)*	------do ------
24	Owls	*(Strigidae)*	------do ------
25	Parakeets	*(Psittacidae)*	------do ------
26	Pigeons	*(Columbidae)*	------do ------
27	Teals	*(Anatidae)*	------do ------
28	Tree Pies	*(Corvidae)*	------do ------
29	Bayas	*(Ploceidae)*	------do ------
30	Wood Peckers	*(Picidae)*	------do ------
31	Tits	*(Paridae)*	------do ------

Annexure VI

List of villages in the Hollongapar-Gibbon Sanctuary Eco-Sensitive Zone:

Sl. No.	**Name of Villages**	**Taluka/ Mouza**	**GPS Co-ordinates**	
			Latitude	**Longitude**
1	Part of Marongial Gaon	Nakachari	26°40′23.56″N	94°24′19.47″ E
2	Western Part of Deberapar	---do---	26°41′15.5″N	94°23′58.2″E
	Chariali			
3	Nagakata Gaon	---do---	26°39′10.3″N	94°23′49.3″E
4	Na-pam Gaon	---do---	26°39′16.0″N	94°24′11.1″E
5	Dihingia Gaon	---do---	26°40′13.5″N	94°23′11.2″E
6	Chinatoli Gaon	---do---	26°40′01.56″N	94°23′43.05″E

7	Mautjuli Gaon	---do---	26°39′36.1″N	94°23′23.3″E
8	Khatisona Gaon	---do---	26°40′33.4″N	94°22′12.6″E
9	Tirual Bheta Gaon	Nakachari	26°41′46.12″N	94°23′0.27″E
10	Ratanpur Gaon	---do---	26°40′45.1″N	94°22′58.5″E
11	Karatipar Gaon	---do---	26°40′36.7″N	94°22′31.0″E
12	Afalamukh Gaon	---do---	26°41′04.3″N	94°22′54.7″E
13	Kalia Gaon	---do---	26°40′49.6″N	94°22′2.54″E
14	2 No. Darikial Rajabari	---do---	26°42′20.8″N	94°23′19.7″E
15	Weastern Part of Nagadera	---do---	26°43′31.1″N	94°23′39.4″E
16	Jotokia Gaon	---do---	26°43′58.09″N	94°20′54.39″E
17	Neemati Gaon	Nakachari	26°40′54.8″N	94°22′52.6″E
18	Fesual Gaon	---do---	26°43′48.6″N	94°20′55.6″E
19	Kari Gaon	---do---	26°44′11.3″N	94°20′25.9″E
20	Bhugpur Gaon	---do---	26°42′21.1″N	94°20′28.1″E
21	Gobinpur Gaon	---do---	26°42′15.58″N	94°20′14.58″E
22	Madhupur Gaon	---do---	26°42′18.2″N	94°20′14.7″E
23	Tunimukh Gaon	---do---	26°42′32.2″N	94°20′06.9″E
24	Gospuria Gaon	---do---	26°43′44.3″N	94°20′28.4″E
25	Hindubari Gaon	---do---	26°43′39.5″N	94°18′40.3″E
26	Meleng Lakhipur Gaon	---do---	26°40′56.4″N	94°21′37.7″E

Annexure VII

Pro forma of Action Taken Report: Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee:-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.12 11:46:26 +05'30'